

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015

संस्थित दिनांक:-06.07.2015

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,  
गोहद जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. जवर सिंह जाटव पुत्र उत्तर सिंह जाटव  
आयु 54 वर्ष निवासी चौकी का पुरा मौजा  
पिपरौली थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1-बी) (ए) आयुद्ध अधिनियम)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार)  
(आरोपी द्वारा अधि0 श्री आर.पी.एस. गुर्जर)

// निर्णय //

// आज दिनांक 12.02.2018 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 25.05.15 को 13:20 बजे ऐंचाया रोड पुलिया पर आयुद्ध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुद्ध 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर का एक जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.15 को पुलिस थाना गोहद के थाना प्रभारी सुनील खेमरिया को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि गोहद थाने का फरारी बदमाश जवर सिंह ऐंचाया रोड पुलिया के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है सूचना रोजनामचे में दर्ज कर वह मय फोर्स एस.आई. शर्मा आरक्षक अनिल शर्मा, आरक्षक भूरा लाल, आरक्षक अहिवरन एवं आरक्षक सुरेंद्र सिंह के साथ मय फोर्स शासकीय वाहन एमपी03 ए 1402 से रवाना होकर ऐंचाया रोड पुलिया पर पहुंचा था तभी पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा था जिसे पुलिस फोर्स ने दौड़कर पकड़ा था नाम पता पूछने पर उसे व्यक्ति ने अपना नाम जवर सिंह बताया था तलाशी के दौरान वह पेंट के अंदर कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का कट्टा रखे हुए मिला था पेंट की दाहिनी जेब में एक 315 बोर का राउण्ड मिला था। आरोपी के पास कट्टा कारतूस रखने बाबत

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015**

लाइसेंस नहीं था उसने मौके पर ही आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती की तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध 150 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दंडप्रसंग की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.05.15 को 13:20 बजे ऐंचाया रोड पुलिया पर गोहद में संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी भूरालाल जामले अ.सा.1, आरक्षक अनिल शर्मा अ.सा.2, महेंद्र सिंह अ.सा.3, प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ.सा.4 एवं थाना प्रभारी सुनील खेमरिया अ.सा.5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

**{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }**

**विचारणीय प्रश्न क्र0-1**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता थाना प्रभारी सुनील खेमरिया अ.सा.5 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 25.05.15 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ईनामी फरारी बदमाश जवर सिंह ऐंचाया रोड पुलिया पर कहीं जाने की फिराक में बैठा है सूचना रोजनामे में आमद कर वह मय फोर्स मौके पर रवाना हुआ था उसके साथ एस.आई. शमा आरक्षक अनिल शर्मा, आरक्षक भूरालाल, आरक्षक सुरेंद्र सिंह भी थे वह शासकीय वाहन से रवाना होकर ऐंचाया रोड पुलिया पर पहुंचा था तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था उसने फोर्स की मदद से उसे दौड़कर पकड़ा था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम जवर सिंह बताया था उसने मौके पर आरोपी की तलाशी ली थी तलाशी लेने पर आरोपी की पेंट के अंदर कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का कट्टा लगा हुआ मिला था पेंट की दाहिने तरफ एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला था। आरोपी के पास कट्टा कारतूस रखने बाबत लाइसेंस नहीं था। उसने मौके पर आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जप्त कर शीलबंद कर जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तत्पश्चात् वह मय माल आरोपी को लेकर थाना आया था एवं रोजनामचे में वापसी इंद्राज की थी। रोजनामचा सान्हा वापसी प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने आरोपी के विरुद्ध प्र.पी. 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015**

कि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए1 का कट्टा एवं ए2 का कारतूस वही कट्टा कारतूस है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त किया था प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 25.05.15 को 14 बजे थाने पर अपराध क्र. 2/15 में आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसका गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. आरक्षक भूरालाल जामले अ.सा.1 एवं आरक्षक अनिल शर्मा अ.सा.2 ने भी सुनील खेमरिया अ.सा.5 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को सुनील खेमरिया के साथ घटना स्थल पर जाने एवं आरोपी जवर सिंह से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जप्त किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक भूरा लाल अ.सा.1 ने जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 के क्रमशः ए से ए भाग पर तथा आरक्षक अनिल शर्मा अ.सा.2 ने जप्तीपंचनामा प्र.पी.1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

9. आर्म्स क्लर्क महेंद्र सिंह अ.सा.3 ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र.पी.3 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ.सा.4 ने जप्तशुदा आयुध की जांच रिपोर्ट प्र.पी.4 को प्रमाणित किया है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में आर्म्स क्लर्क महेन्द्रसिंह आ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 30.06.15 को जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रधान आरक्षक महेश धाकरे द्वारा थाने के अप0क्र0 150/15 की केस डायरी सीलबंद जप्तशुदा आयुध सहित पेश की गई थी एवं प्रभारी जिला दंडाधिकारी श्री आर.पी.भारती द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर प्रभारी जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने प्रभारी जिला दंडाधिकारी श्री आर.पी.भारती के साथ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है।

12. इस प्रकार साक्षी महेन्द्र सिंह आ0सा03 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि प्रभारी जिला दंडाधिकारी श्री आर.पी.भारती ने केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की थी बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति विधिनुसार प्रदान की गई है।

13. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ.सा. 4 ने

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015**

न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 10.06.15 को पुलिस लाईन भिण्ड में थाना गोहद के आरक्षक राय सिंह के द्वारा लाए जाने पर थाने के अप0क0 150 / 15 में जप्तशुदा 315 बोर के कटटे एवं जिंदा राउण्ड की जांच की थी जांच के दौरान कटटे का एक्शन चैक करने पर कटटा चालू हालत में था कटटे से फायर किया जा सकता था। जप्तशुदा राउण्ड भी चालू हालत में था उससे भी फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है।

14. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रधान आरक्षक राजकिशोर अ.सा.4 ने जप्तशुदा 315 बोर का कटटा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में होना बताया है उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डनीय रहा है आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कटटा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

15. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कटटा एवं कारतूस आरोपी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता सुनील खेमरिया अ.सा.5 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया है कि घटना वाले दिन उसे मुखबिर द्वारा आरोपी के संबंध में सूचना मिली थी तो वह मय फोर्स रवाना होकर ऐंचाया रोड पुलिया पर पहुंचा था जहां आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा था एवं उसने फोर्स की मदद से दौड़कर आरोपी को पकड़ा था तथा तलाशी लिये जाने पर आरोपी के पास से 315 बोर का कटटा एवं कारतूस जप्त किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना दिनांक 25.05.15 को आरोपी जवर सिंह को अपराध क्र. 2 / 15 में गिरफ्तार किया था जिसका गिरफ्तारी पंचनामा प्र.डी1 है।

16. इस प्रकार जप्तीकर्ता सुनील खेमरिया अ.सा.5 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने आरोपी से ऐंचाया रोड पुलिया पर घटना दिनांक को 315 बोर का कटटा एवं कारतूस जप्त किया था। प्र.पी.1 के जप्तीपंचनामे के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त जप्तीपंचनामे में आरोपी से दिनांक 25.05.15 को 13:20 बजे 315 बोर का कटटा एवं कारतूस जप्त किये जाने का उल्लेख है, परंतु उक्त जप्तीपंचनामे में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी से ऐंचाया रोड की पुलिया पर 315 बोर का कटटा एवं कारतूस जप्त किया गया था। प्र.पी.1 के जप्तीपंचनामे में आरोपी जवर सिंह जाटव निवासी चौकी का पुरा के कब्जे से आयुध जप्त किये जाने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर जप्तीकर्ता सुनील खेमरिया अ.सा.5 के कथन प्र.पी.1 के जप्तीपंचनामे से पुष्ट नहीं रहे हैं, एवं प्र0पी0 01 के पंचनामे से यह दर्शित नहीं है कि आरोपी से ऐंचाया रोड पुलिया पर कटटा एवं कारतूस जब्त किया गया था।

17. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपी अपराध क्र. 2 / 15 में घटना दिनांक को स्वतः ही थाना गोहद में उपस्थित हो गया था एवं पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध असत्य रूप से उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र.पी.6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 25.05.15 को 13:20 बजे लेख है एवं थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक 25.05.15 को 14 बजे लेख है तथा सुनील खेमरिया अ.सा.5 ने अपने कथन में



**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015**

बताया है कि थाना वापस आने के पश्चात् उसने रोजनामचे में वापसी इंद्राज की थी जो प्र.पी.5 है इसके बाद उसके द्वारा प्र.पी.6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी इस प्रकार प्र.पी.6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक 25.05.15 को 14 बजे लेख है जबकि प्र.पी.5 की रोजनामचा वापसी की प्रति में थाने पर वापसी का समय 14:10 बजे अंकित है। प्र. पी.6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के विरुद्ध प्र.पी.6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.05.15 को 14 बजे लेखबद्ध की गयी है जबकि प्र.पी.5 की रोजनामचा वापसी के अनुसार घटना स्थल से मय आरोपी एवं जप्तशुदा आयुध सहित वापसी का समय 14:10 अंकित है इस प्रकार उक्त बिंदु पर जप्तीकर्ता सुनील खेमरिया अ.सा.5 के कथन प्र.पी. 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र.पी.5 की रोजनामचा वापसी से विरोधाभासी रहे हैं। यदि प्र0पी0 05 की रोजनामचा वापसी के अनुसार घटना दिनांक को थाना प्रभारी सुनील खेमरिया आरोपी को मय आयुध लेकर 14:10 बजे थाने पर लौटे थे तो आरोपी के विरुद्ध 14:00 प्र0पी0 06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे लेखबद्ध की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। उक्त तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

18. जप्तीकर्ता सुनील खेमरिया अ.सा.5 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने आरोपी जवर सिंह को ऐंचाया रोड पुलिया से पकड़ा था, परंतु बचाव पक्ष द्वारा जो प्र.डी.1 का गिरफ्तारी पंचनामा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें आरोपी जवर सिंह को दिनांक 25.05.15 को 14 बजे थाना गोहद में अपराध क्र. 2/15 में गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख है तथा उक्त पंचनामे में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी के पास गिरफ्तारी के समय जप्तशुदा आयुध पाये गये थे। सुनील खेमरिया अ.सा. 5 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी प्र.डी.1 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना स्वीकार किया है इस प्रकार प्र.पी.5 की रोजनामचा वापसी में वापसी का समय 14:10 अंकित है जबकि प्र.डी.1 के गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार आरोपी को 14 बजे थाना गोहद में गिरफ्तार किया गया है इस प्रकार प्र.पी.5 की रोजनामचा वापसी प्र.डी.1 के गिरफ्तारी पंचनामे से भी मेल नहीं खाती है उक्त तथ्य भी सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है एवं उक्त तथ्य से बचाव पक्ष अधिवक्ता के उक्त तर्क को ही बल मिलता है कि आरोपी अपराध क्र. 2/15 में थाने पर उपस्थित हुआ था एवं आरोपी के विरुद्ध असत्य रूप से हस्तगत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

19. जहां तक आरक्षक भूरालाल जामले अ.सा.1 एवं अनिल शर्मा अ.सा.2 के कथन का प्रश्न है तो भूरालाल जामले अ.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह थाने से 1:10 बजे रवाना हुए थे एवं थाने से पुलिया तक आने में पांच मिनट का समय लगा था जैसे ही वह पुलिया पर गाड़ी से उतरे थे तो आरोपी भागने लगा था आरोपी को पकड़कर थाने में ले गयी थी इन सब कार्यवाही में पांच मिनट का समय लगा था जबकि अनिल शर्मा अ.सा.2 का कहना है कि पुलिया पर पहुंचने का समय 1:20 बजे था तथा घटना स्थल पर बीस पच्चीस मिनट लगे थे। इस प्रकार आरक्षक भूरालाल जामले अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि मौके पर कार्यवाही करने में पांच मिनट लगे थे जबकि आरक्षक अनिल अ.सा.2 का कहना है कि मौके पर कार्यवाही करने में बीस पच्चीस मिनट लगे थे। उक्त बिंदु पर भी आरक्षक भूरालाल अ.सा.1 एवं अनिल शर्मा अ.सा. 2 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

20. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि आरक्षक

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-436 / 2015**

भूरालाल जामले अ.सा.1, अनिलशर्मा अ.सा.2 एवं सुनील खेमरिया अ.सा.5 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। सुनील खेमरिया अ.सा.5 के कथन प्र.पी. 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्र.पी.1 के जप्तीपंचनामे एवं प्र.डी.1 के गिरफ्तारी पंचनामे से भी विरोधाभासी रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपी ने जप्तशुदा आयुध वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे।

21. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 25.05.15 को 13:20 बजे ऐचाया रोड पुलिया पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुध 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर का एक जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा। फलतः यह न्यायालय आरोपी जवर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

23. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

24. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-12.02.2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)